उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 02.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाले वांछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने थानास्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 437/25 धारा 103(1)/192(2)/238 BNS से सम्बन्धित 02 नफर वाँछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.अर्जुन सिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत उम्र करीब 27 वर्ष 2.पवन राजपूत पुत्र गुलाब सिंह राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण ग्राम कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को कालीपहाड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी उपरान्त अभियुक्तों को मा0 न्यायालय में पेशी के उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली नगर महोबा
2. हे0का0 उमाशंकर शुक्ल 3. हे0का0 प्रदीप कुमार 4. का0 मुकेश सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

1. अर्जुन सिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत उम्र करीब 27 वर्ष,
2. पवन राजपूत पुत्र गुलाब सिंह राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष

निवासीगण ग्राम कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

चरखारी मेला पुलिस का सराहनीय कार्य – गोवर्धन मेले में बिछड़े बालक को परिवार से मिलाया एवं खोया मोबाइल किया बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में जनपद महोबा पुलिस द्वारा मानवता एवं संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

गोवर्धन मेले के दौरान कान्हा पुत्र पंकज निवासी मु. रामनगर, चरखारी अपने परिजनों से बिछड़ गया था। मेला चौकी पुलिस द्वारा तत्परता एवं सक्रियता दिखाते हुए बालक को सकुशल खोज निकाला गया तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर बालक को उसकी माता को सकुशल सुपुर्द किया गया।

इसी क्रम में अंकित त्रिपाठी निवासी रायनपुर कस्बा चरखारी का मोबाइल फोन मेला परिसर में कहीं गिर गया था, जिसे मेला चौकी पुलिस द्वारा ईमानदारी और सतर्कता से बरामद कर मालिक को सुपुर्द किया गया।

महोबा पुलिस की इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई की स्थानीय नागरिकों एवं मेले में आए श्रद्धालुओं द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है।

जनपद महोबा पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही न केवल आमजन के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि “जन सेवा ही सच्ची पुलिसिंग” के मूलमंत्र को भी साकार करती है।

चरखारी मेला पुलिस टीम-

1. उ.नि. विशाल बाजपेई
2. महिला मुख्य आरक्षी कल्पना सिंह
3. आरक्षी अभिषेक पाण्डेय

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-02.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी उ.नि. चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह हे.कां.दिनेश सिंह, हे.कां.महेंद्र गौतम द्वारा देखभाल क्षेत्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति/वस्तु के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 01 नफर अभियुक्त शिवम यादव पुत्र साहब सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सबुआ थाना चरखारी जनपद महोबा को रामनगर तिराहा के सागर तालाब के पास से नियमानुसार हिरासत में लिया गया इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 249/2025 धारा 3/25 A Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ .नि.चन्द्रशेखर सिंह
2. हेदिनेश सिंह.कां. 3. हेमहेंद्र गौतम.कां.

गिरफ्तार अभियुक्त –

शिवम यादव पुत्र साहब सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सबुआ थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी

01 अदद तमंचा अवैध व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 02.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध खनन एवं फर्जी रॉयल्टी प्रकरण में बडी सफलता अर्जित करते हुए, खनिज विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद लैपटॉप व मोबाइल फोन बरामद-

खनन विभाग की साइट से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट upmines_upsdc_gov.ink बनाकर अवैध e-Transit Pass तैयार कर प्रदेश सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने वाले प्रकरण में जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 373/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस व 66 सी आईटी एक्ट व 4/21 खान एंव खनिज अधि0 एवं थाना कबरई में मु0अ0सं0 246/2025 धारा 305/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2)/3(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में उक्त अभियोंग से सम्बन्धित/संल्पित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही की जा रही प्रभावी कार्यवाही/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने खनिज विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाने वाले वांछित अभियुक्त संजय कुमार सिंह पुत्र जय सिंह निवासी 35 ए / 727 गंगानगर श्याम नगर कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद लैपटाप व 01 अदद एन्ड्राईड मोबाईल फोन बरामद किया गया है , अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

संजय कुमार सिंह पुत्र जय सिंह निवासी 35 ए / 727 गंगानगर श्याम नगर कानपुर नगर

बरामदगी विवरण-

एक अदद लैपटाप HP एवं एक अदद एन्ड्राएड मोबाइल कम्पनी वीवो

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम:-

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम-

1. SHO कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय
2. हे0का0 उमाशंकर शुक्ल 3. का0 मुकेश सिंह

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह प्रभारी एसओजी टीम महोबा
2. उ0नि0 विवेक यादव 3.कां0 दीपक वर्मा 4.कां0 रंजीत सिंह 5.कां0 निर्भय यादव
6. कां0 आशीष बघेल 7.कां0 अभिषेक दुबे 8.सत्यम सिंह जादौन